लक्ष्मी रानीवाल बनाम श्रवण

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2022/127

18.09.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन किये जाने बाबत मय शपथ पत्र दिनांक 21.11.2020 को पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 23.11.2020 नियत थी। प्रार्थीगण इन्दौर निवास करने लग गये है। वहां पर भयंकर कोरोना चल रहा है। प्रार्थीनी सभी अपीलांट की ओर से पैरवी करने के लिए अधिकृत है। कोरोना के कारण रेलों व अन्य यातायात के साधन बंद होने से प्रार्थीनी कोटा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी तथा प्रार्थीगण के अभिभावक महोदय अन्य न्यायालयों जिला न्यायाधीश कोटा के न्यायालय में पैरवी में होने के कारण समय पर आवाज पर उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण आवाज दिलवाकर अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में निरात फरमा दी गयी। प्रार्थीनी की अनुपस्थिति क्षम्य है और बोनाफाइड है। न्याय हित में अपील को रेस्टोर किया जाना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र रेस्टोर कर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्टोर किये जाने बाबत के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र व वकालतनामा में हस्ताक्षर में भिन्नता है। अधिवक्ता अपीलांट की मंशा रेस्पोन्डेन्ट को केवल परेशान करने की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार नहीं है। अंत में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने इसी स्तर पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारित करने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण की मूल पत्रावली 2018/178 बउनवान लक्ष्मी रानीवाल बनाम श्रवण को दिनांक 23.11.2020 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। जिसको रेस्टोर किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया था। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट ने निर्धारित मियाद के अंदर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने हस्ताक्षरों की भिन्नता का

कथन किया। परंतु हमारे मत में रेस्पो0 के इस तर्क के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी अपीलांट के कथन सद्भाविक प्रतीत होते हैं।

अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन को स्वीकार कर अपील को पूनः नम्बर पर लिया जाता है।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा